

16/08

93

संख्या- 1/18/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 27 मार्च, 2008

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत रिकॉर्ड का रख-रखाव और सूचना का प्रकाशन ।

यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में अधिकाधिक स्वयं प्रकटीकरण के प्रावधान के माध्यम से लोक प्राधिकारियों के काम-काज में पारदर्शिता की एक व्यवस्था निर्धारित की गई है ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 का लेना पड़े । अधिनियम का यह एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है जिसका अनुपालन, इसके प्रभावी के लिए अनिवार्य है ।

अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अपने सभी सूचीकृत और अनुक्रमणिका (इन्डेक्स) बना कर रखना बाध्यकर है । इस प्रावधान के अनुसार रिकॉर्ड का सूचना अधिकारी को अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना मुहैया करवाने में सक्षम बनाने हेतु एक कदम है । इस खंड में लोक प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह अपने रिकॉर्डों को कम्प्यूटरीकृत कर देश भर में नेटवर्क के माध्यम से जोड़ दे । लोक प्राधिकारियों से, इस खंड की अपेक्षाओं को उच्चतम आधार पर पूरा करने की प्रत्याशा की जाती है ।

पर्युक्त उप धारा के खंड (ख) के अनुसार लोक प्राधिकारियों के लिए यह अधिदेशात्मक है कि वे उसमें सूचनाओं का प्रकाशन, अधिनियम के लागू होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर करवाएं । आशा की कि सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा इस अपेक्षा का अनुपालन पहले ही किया जा चुका होगा । यदि ऐसा पाया गया है तो इसका अनुपालन बिना कोई और विलंब किए सुनिश्चित कर लिया जाए ।

अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकारियों के लिए यह है कि वे जनता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियां तैयार करते समय और निर्णय घोषित करते सभी संगत तथ्यों को प्रकाशित करें । वे खंड (घ) के अनुसार प्रभावित पक्षों को अपने प्रशासनिक अथवा प्राथमिक निर्णयों के संबंध में कारण बताने के लिए भी बाध्य हैं ।

5. अधिनियम की धारा 4 में यह अपेक्षित है कि स्वतः प्रकाशनीय सूचनाओं का व्यापक और इस ढंग से किया जाए कि वह जनता तक पहुंच सके। सूचना का प्रसार नोटिस बोर्डों, सार्वजनिक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट अथवा किन्हीं अन्य साधनों/माध्यमों द्वारा किया सूचना का प्रसार करते समय प्रत्येक लोक प्राधिकारी को संबंधित स्थानीय क्षेत्र में लागत प्रभाव, और संचार की सर्वाधिक प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखना चाहिए। लोक सूचना अधिकारी के पास तक संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध होनी चाहिए जो जनता को निःशुल्क अथवा यथा रि पर मुहैया करवाई जा सके। पैरा 3 में उल्लिखित प्रकाशित दस्तावेज की एक प्रति और उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशनों की प्रतियां लोक प्राधिकारी के एक अधिकारी के पास रखी जानी चाहिए और का निरीक्षण करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

6. अनुरोध है कि आप राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी लोक प्राधिकारियों को उपर्युक्त अनुपालन करने के संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करें। आपसे यह भी प्रार्थना है कि उक्त कानूनी पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में समुचित व्यवस्था का निर्माण किया जाए।

भर



(कृष्ण ग)

नि